बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 20.01.26

संख्या–12/निजी–70218/2023 सा0प्र0–1539 /सुश्री बृष भानु कुमारी चन्द्रा, बि0प्र0से0 (को0क्र0–764/24), वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा को स्वयं के विवाह हेतु दिनांक–20.11.2025 से दिनांक–31.12.2025 तक कुल–42 (बयालीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री चन्द्रा को उक्त 42 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त उनके पक्ष में कुल–172 (एक सौ बहत्तर) दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं कुल–120 (एक सौ बीस) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. सुश्री चन्द्रा को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0–5632, दिनांक–26.06.2015 की कंडिका–8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पुर्ज़ा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.01.2026

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–12/निजी–70218/2023 सा0प्र0–1539/पटना, दिनांक–20.01./26

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सुश्री बृष भानु कुमारी चन्द्रा, बि0प्र0से0 (को0क्र0–764/24), वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.01.2026

सरकार के उप सचिव।